

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 114 / 2019

निर्णय दिनांक —07.06.2019

1. पप्पु पिता लाभचन्द जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
2. कैलाशी पत्नि लाभचन्द जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
3. रतनलाल पिता प्यारा जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. किशोर कुमार पिता सुखलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
2. किशनलाल कुमार पिता मांगीलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
3. जगन्नाथ पिता प्रभुलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
4. घीसालाल पिता धुला जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
5. गोपाल पिता नन्दा जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
6. राधाकिशन पिता लालुजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।

— विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

### आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मैलाना पटवार हल्का मैलाना तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 501 की आराजी नं0 2311/1235 रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मैलाना पटवार हल्का मैलाना तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 501 की आराजी नं0 2311/1235 रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 0706.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

